रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275329
CG-DL-E-10082026-275329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
No. 648] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 712(अ).— केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम,मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 214 (अ), तारीख 20 मार्च 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उप खंड (i), तारीख 27 मार्च, 2026 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले इससे प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों की उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 27 मार्च, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, मोटर वाहन नियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (इसके इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 93 के उप-नियम (1) के खंड (क) में, छठे परंतुक के बाद, उप-खंड (vi) में सारणी के नीचे, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि टिपर और डम्पर के मामले में, नियम 138ख के दूसरे परंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसार, लोड बॉडी को घेरने के लिए लगाई गई प्रणाली को मोटर वाहनों की कुल ऊंचाई मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 93 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में, उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) मोटर वाहनों की कुल ऊंचाई मापने में रियर-व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण, या गार्ड रेल या दिशा संकेतक रबर-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बॉडी के प्रत्येक तरफ अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर हो या साइड फुट स्टेप, या टिपर और डम्पर पर लोड बॉडी को घेरने के लिए नियम 138ख के दूसरे परंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसार लगाई गई प्रणाली को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 138ख में, प्रथम परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद, सभी डम्पर और टिपरों के मामले में, लोड बॉडी को ऊपर से ढकने के लिए विद्युत, विद्युत-यांत्रिक, ड्राउलिक या यांत्रिक रूप से संचालित प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे वाहन के सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह से बंद रहे। ऊपर विनिर्दिष्ट प्रणाली लोड बॉडी की छत को ढकने के लिए किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त, चालक के केबिन में एक ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम प्रदान किया जाएगा जिससे वाहन के चलने के दौरान लोड बॉडी का कवर खुला या असुरक्षित होने पर चालक को चेतावनी दी जा सके।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2026-एमवीएल-भाग(1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 542 (अ) तारीख 30 जून, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 712(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 214 (E), dated the 20th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), dated the 27th March, 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification of the said draft rules were made available to the public on 27th March, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 93, in sub-rule (1), in clause (A), after the sixth proviso, below the table in sub-clause (VI), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case of tippers and dumpers, the system fitted to enclose the load body, as per the provisions given in the second proviso to rule 138B, shall not be taken into consideration in measuring the overall height of motor vehicles.".

3. In the said rules, in rule 93 in sub-rule (1), in clause (B), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) A rear-view mirror or device for indirect vision, or guard rail or a direction indicator rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step, or the system fitted on tippers and dumpers to enclose the load body as per the provision given in second proviso to rule 138B, shall not be taken into consideration in measuring the overall height of motor vehicles.".

4. In the said rules, in rule 138B, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and after the 1st day of April, 2027, in case of all dumper and tippers, the load body shall be fitted with an electrically or electro-mechanical or hydraulic or mechanically operated system to cover the load body from top, to fully enclose the load body while the vehicle is plying on the road. The system specified above may use any suitable material for covering the roof of the load body. Additionally, an audio-visual alert system shall be provided in the driver's cabin to warn the driver if the load body cover is open or unsecured during vehicle movement:".

[F. No. RT-11028/02/2026-MVL-Part(1)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 542(E) dated the 30th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.10 14:47:18 +05'30'